

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0

-:: वादीगण :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र चुनाराम कौम रेगर (जटिया)
निवासी गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर
राजस्थान

1. सावलराम पुत्र चुनाराम
2. केलकी पत्नि अल्पूराम
3. लाबु पुत्र संग्राम
4. घेवर पुत्र संग्राम लाओलाद फौत कौम
जटिया निवासी गिरी तहसील रायपुर
5. तहसीलदार जैतारण
6. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण
7. पटवारी पटवार हल्का टूंकडा
8. दलपतकुमार पुत्र मोहनलाल नायक
निवासी भमेरिया जिला प्रतापगढ़

मु0न0 :रा0वा0स0- 52/2021

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53ए, 188 रा. का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री
किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई सुरेश चौधरी, अधिवक्ता,
प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी विरुद्ध
प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा- 88, 53'ए' व
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं हों एवं सारहीन होने
से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी कदर वाद-पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री
किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल
दफ्तर जमा है।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13.01.2026 को
जारी किया गया।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00		स्टाम्प वकालतनामा	9.00	
स्टाम्प वकालतनामा	9.00		स्टाम्प अर्जी	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	4.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	9.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	26.00		मिजान:-	10.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए
दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।